

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-वि०शो०सं०-०७/२०२२-२५४९/वि०स०।

प्रेषक,

माणिक लाल हेमब्रम
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, रिक्टर-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।
कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
कुलपति, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर।
कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
कुलपति, केव्हीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, राँची।
कुलपति, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची।
निदेशक/प्राचार्य, आई०आई०टी०, धनबाद।
निदेशक/प्राचार्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान आई०आई०एम०, राँची।
प्रतिकुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
प्रतिकुलपति, रिक्टर-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।
प्रतिकुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
प्रतिकुलपति, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर।
प्रतिकुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
प्रतिकुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
प्रतिकुलपति, केव्हीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, राँची।
प्रतिकुलपति, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
प्रतिकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, बिड़ला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, राँची।
कुलपति, विश्वविद्यालय, मेसरा, राँची।
कुलपति, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़।
कुलपति, अमिटी विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, सरला बिरला विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, ए०आई०एस०ई०सी०टी० विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
कुलपति, झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा।
कुलपति, अर्का जैन विश्वविद्यालय, राँची।

कृ०प०३०

(2)

कुलपति, वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय, रौची।
कुलपति, रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, पलामू।
प्राचार्य, रौची वीमेन्स कॉलेज, रौची।
प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, रौची।
प्राचार्य, मारवाड़ी कॉलेज, रौची।
निदेशक, एक्स०आई०एस०एस०, रौची।
निदेशक, राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय, कांके, रौची।
प्राचार्य/निदेशक, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, जमशेदपुर।
प्राचार्य, निदेशक, जमशेदपुर महिला कॉलेज, जमशेदपुर।
निदेशक/प्राचार्य, श्रीनाथ विश्वविद्यालय, रौची।
निदेशक/प्राचार्य, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर।
निदेशक/प्राचार्य, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, रौची।
निदेशक/प्राचार्य, कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय,
रौची।
निदेशक/प्राचार्य, एक्स०एल०आर०आई०, जमशेदपुर।
निदेशक/प्राचार्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रौची।
कुलपति/ प्राचार्य, B.I.T.- Sindri
निदेशक/प्राचार्य, N.I.T Jamshedpur (राष्ट्रीय प्रोटोगिकी संस्थान जमशेदपुर)।
कुलपति/ प्राचार्य, Pragyan International University, Ranchi.
कुलपति/ प्राचार्य, National University of Study and Research in Law, Ranchi

रौची, दिनांक- 15/10/22

विषय :- झारखण्ड विधान सभा, रौची के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा आयोजित किये जाने वाली द्वितीय झारखण्ड छात्र संसद, कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मनोनीत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड विधान सभा के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा आयोजित किये जाने वाली द्वितीय झारखण्ड छात्र संसद, आयोजित करने की योजना है। झारखण्ड छात्र संसद में राज्य के सभी जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित है।

उक्त छात्र संसद हेतु तीन चरणों में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नवत है :-

- 01- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल को नामित करते हुए उनके पूर्ण विवरणी नाम, पदनाम, मोबाइल नं० एवं ईमेल के साथ सूचना विधान सभा को दिनांक-04.11.2022 के अन्दर दी जाय।
- 02- प्रत्येक विश्वविद्यालय से दो- दो छात्रों का मनोनयन राज्यस्तरीय स्पर्धा हेतु किया जाय, परन्तु रौची विश्वविद्यालय, रौची/सिङ्घ-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय,

वृ०पृ०३०

(3)

मेदिनीनगर/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद द्वारा दो से ज्यादा छात्रों का मनोनयन इस प्रकार किया जाय कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवेदाने प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व रांभव हो सके। संबंधित सूचनाएँ (यथा-छात्रों का नाम, कॉलेज का नाम, संकाय, जन्म तिथि) संलग्न प्रपत्र में दिनांक-04.11.2022 तक भेज दी जाय।

03- मनोनीत छात्रों द्वारा लिखित निम्नांकित विषय पर विषयों में से किसी एक विषय पर न्युनतम 500 शब्द में तथा अधिकतम 700 शब्दों का आलेख संलग्न विषय पर ईमेल- jvs.lrc@gmail.com पर उनके मनोनयन के साथ निर्धारित तिथि 04.11.2022 तक भेजी जाय :-

- (I) शहरी जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में नगरीय नियोजन
Town Planning in the context of urban population explosion.
- (II) पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की अवधारणा
Environment Conservation versus Growth Paradigm.
- (III) सड़क के उपयोग का अधिकार,-पैदल यात्रियों एवं साईकिल सवारों के लिए सड़क सुरक्षा
Right of use of road safety for Pedestrian and Cyclist.
- (IV) वनों की कटाई एवं सड़क निर्माण
Deforestation and road construction.
- (V) सड़क सुरक्षा एवं कानूनी आयाम
Road safety and legal framework.
- (VI) यातायात से प्रदूषण का समाधान सार्वजनिक यातायात के साधनों के विकास से संभव है।
Pollution from transport may be controlled by developing public transportation system.

04- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्रों के वेबीनार के माध्यम से सभा सचिवालय के विशेषज्ञों द्वारा विधायी प्रक्रिया के संबंध में दिनांक-09.11.2022 को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वेबीनार में जुहने के लिए छात्र अपना ईमेल आईडी०/मोबाईल नम्बर नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

05- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्र सभा सचिवालय द्वारा चयनित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष उपर्युक्त विषय में से चयनित किसी एक विषय पर गुगल मीट के माध्यम से प्रस्तुति देंगे एवं विशेषज्ञ पैनल उनमें से 24 छात्रों का चयन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए नामित करेगा।

06- अंतिम 24 छात्रों में से 13 पक्ष एवं 11 विपक्ष के लिए चयनित किये जायेंगे। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सदन नेता एवं दूसरे स्थान पर आवेदाले छात्र को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा जाएगा।

कृ०पृ०३०

- 07- झारखण्ड छात्र संसद के आयोजन की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी एवं स्थल का निर्धारण झारखण्ड विधान सभा, रौची के द्वारा किया जा सकेगा। झारखण्ड विधान सभा सभागार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 08- रौची में आयोजित किये जाने वाले झारखण्ड छात्र संसद के दौरान जिन छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा, उनके आवासन भोजन की व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा प्रति छात्र 2000/-रु० समेकित व्यय के रूप में कार्यक्रम के समापन के साथ ही तत्काल प्राप्त करा दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार के भुगतान का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- 09- झारखण्ड छात्र संसद का कार्यक्रम द्विदिवसीय होगा। प्रथम दिन समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा और दूसरे दिन छात्र संसद आयोजित की जाएगी।
- 10- झारखण्ड छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी 24 छात्र-छात्राओं को प्रशरित पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- 11- विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों के आलेख एवं विडियो कॉफ्रेंसिंग के आधार पर शॉर्ट लिरिटंग करने का सर्वाधिकार झारखण्ड विधान सभा के विशेषज्ञ समूह में निहित होगा।
- 12- झारखण्ड छात्र संसद हेतु विशेषज्ञ समूहों में झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य, राष्ट्रीय/राज्यस्तर के संवैधानिक/संसदीय विषयों के विशेषज्ञ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक/राज्य सरकार/झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे।
- 13- झारखण्ड के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का ही मनोनयन मान्य होंगे।
- 14- प्रथम झारखण्ड छात्र संसद कार्यक्रम, 2021 में अन्तिम रूप से चयनित 24 छात्रों का विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा पुनः मनोनीत नहीं किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रक्रियाओं के अधीन अपने विश्वविद्यालय से मनोनीत छात्रों की यूची सभा-सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

मानिक लाल हेमब्राम
 (मानिक लाल हेमब्राम)
 संयुक्त सचिव,
 झारखण्ड विधान सभा, रौची।

*अमृत
15.10.22*

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

प्रपत्र

फोटो

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. विश्वविद्यालय का नाम :
5. महाविद्यालय का नाम :
6. संकाय :
7. सत्र :
8. मोबाइल नं०(वाट्सएप नं०) :
9. है-मेल आईडी० :
10. पत्राचार का पता :

.....
.....

11. स्थायी पता :

नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर